प्रतिदिन

जेलों की बदहाली

भारतीय जेलों की बदहाली पर गृह मंत्रालय की संसदीय समिति की रिपोर्ट ने फिर दुखती रग पर हाथ रख दिया है. रिपोर्ट में चिंता जताई गई है कि देशभर की जेलों में क्षमता से ज्यादा कैदी हैं. महिला कैदी असुरक्षा के माहौल में रहने को विवश हैं. उनके साथ बलात्कार होता है. उन्हें उन बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित रखा जाता है, जो जेल नियमों के हिसाब से उन्हें मिलनी चाहिए. गर्भवती महिला कैदियों पर भी ध्यान नहीं दिया जाता, जबकि उच्चतम न्यायालय ने एक फैसले में कहा था कि जेल में प्रसव से पहले और प्रसव के बाद महिला कैदियों के साथ-साथ उनके बच्चों की देखभाल के लिए भी पर्याप्त सुविधाएं होनी चाहिए. यह पहला मौका नहीं है, जब जेल सुधार को लेकर किए जाने वाले दावों की असली तस्वीर सामने आई हो. पहले भी कई बार जेलों की बदहाली पर चिंता जताई जा चुकी है. समस्या जस की तस है.

जेलों के बद से बदतर होते हालात के पीछे शायद यह सोच काम कर रही है कि जहां समाज के अपराधी रहते हों, वहां माहौल में सुधार की क्या जरूरत है. हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जेलों का मकसद अपराधियों को सिर्फ सजा देना नहीं, उन्हें सुधार कर समाज की मुख्यधारा में शामिल करना भी है. अमानवीय हालात में रखकर उनमें सुधार की अपेक्षा नहीं की जा सकती. जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, स्पेन, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड, नॉर्वे जैसे देशों में जेलों की तस्वीर ही बदल दी गई है. इनमें से कुछ जेलों में कैदियों को फाइव स्टार होटल जैसी सुविधाएं मिल रही हैं. भारत में अब भी 'जेल में चक्की पीसने' का मुहावरा चल रहा है. कैदियों को भेड़-बकरियों की तरह ठूंसकर रखा जा रहा है. उच्चतम न्यायालय ने 2018 में देशभर की जेलों में क्षमता से ज्यादा कैदी होने पर चिंता जताते हुए सभी उच्च न्यायालयों को इस पर विचार करने के लिए कहा था. शीर्ष कोर्ट का कहना था कि जेलों में कैदियों को ठूंसकर रखना मानवाधिकार का उल्लंघन है.

जेलों के स्टाफ की भर्ती में भी राज्य सरकारें ज्यादा रुचि नहीं दिखा रही हैं. देश की 1,319 जेलों में 4,25,609 कैदियों की क्षमता के मुकाबले 5,54,034 कैदी हैं. विडम्बना यह है कि इनमें से 4,27,165 कैदी विचाराधीन हैं. यानी दोषी ठहराए जाने से पहले ही वे जेल में 'सजा' भुगत रहे हैं. जिन पर मामूली आरोप हैं और जो गरीबी के कारण जमानत नहीं ले पा रहे हैं, अगर अदालतों में उनके मामले प्राथमिकता से निपटाए जाएं तो समस्या हल हो सकती है. जेलों में मानव संसाधन को बेहतर बनाने के लिए नीति बनाना जरूरी हो गया है. जेलों में महिला कैदियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और कैदियों के रहन-सहन का स्तर बेहतर होगा, तभी सही अर्थों में जेलों को सुधार केंद्रों में तब्दील किया जा सकेगा.

अगर टूट से बचकर जुड़ा रह जाए विपक्ष

विपक्षी एकता के बारे में एक बात हमेशा से कही जाती रही है कि विरोधी पार्टियां साल भर एक-दूसरे से अलग नहीं रह सकतीं और छह महीने एक साथ नहीं रह पातीं.

आशंकाएं अक्सर हकीकत से बहुत आगे भागती हैं. जिस शाम यह खबर आई कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिला आरक्षण से जुड़े विधेयक को हरी झंडी दे दी है, इसे मास्टर स्ट्रोक बताते हुए कई विश्लेषकों ने 'इंडिया' गठजोड़ के लिए श्रद्धांजलि तैयार करनी शुरू कर दी. कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फैसले से विपक्षी गठजोड़ की दुखती रग पर चोट की है. उन्हें लगता था, इस फैसले से सबकी अपनी राजनीति के सामने धर्मसंकट खड़ा हो जाएगा और गठजोड़ के बहुत सारे छिपे हुए अंतर्विरोध सतह पर आ जाएंगे.

इसके साथ ही 2010 के वे सारे दृश्य याद आ गए, जब राज्यसभा में बिल पेश करते समय महिला सांसदों ने कानून मंत्री हंसराज भारद्वाज के आस-पास सुरक्षा घेरा बना लिया था. उस मौके पर जो दल अशोभनीय दृश्यों का कारण बने थे, वे सभी इस समय विपक्षी गठजोड़ 'इंडिया' में अच्छी हैसियत में हैं. आशंकाओं के पीछे से वे सारी स्मृतियां झांक रही थीं. भारत में विपक्षी एकता का इतिहास यही रहा है कि उसकी जमीन के नीचे जब खदबदाहट शुरू होती है, तो फिर बिखराव किसी के रोके से नहीं रुकता है. इसलिए सारे डर स्वाभाविक ही थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं. साल 2010 में जिस तरह विधेयक के लिए उनमें तलवारें खिंच गई थीं, इस बार वैसा ही विधेयक आने पर किसी ने धैर्य नहीं खोया. इतना ही नहीं, उन्होंने विधेयक के समर्थन में वोट भी दे दिया.आप कह सकते हैं कि इस बार विरोध का कोई मतलब भी नहीं था, विधेयक तो वैसे भी पास हो ही जाना था. विरोध अगर उग्र होता, तो छह महीने बाद होने वाले आम चुनाव में सबको नुकसान होता, लेकिन नुकसान की परवाह इस बार वे सियासी दल कर रहे थे, जो इसके पहले तक ऐसी परवाह नहीं किया करते थे.यहां इस आरक्षण विधेयक से अलग कुछ और बातों पर गौर कर लेते हैं. कुछ ही समय पहले गठबंधन के संयोजक को लेकर लालू यादव के एक बयान पर मीडिया में बहुत सारी चर्चा हुई थी. ये चर्चाएं भी होती रहीं कि कौन किस बैठक में नहीं गया, कौन प्रेस-कॉन्फ्रेंस से गैरहाजिर था, कौन किससे रूठ गया वगैरह. बस खबरें ही सुनाई दीं, इसके आगे कोई चिनगारी भड़कती नहीं दिखाई दी. विपक्षी गठजोड़ में दिख रही यह परिपक्वता भारतीय राजनीति के लिए एक नई चीज है और इसलिए महत्वपूर्ण भी है. हो सकता है कि 'नारी शक्ति वंदन विधेयक' एक मास्टर स्ट्रोक रहा हो, लेकिन इंडिया ब्लॉक की इस नई परिपक्वता ने उसे निस्तेज तो कर ही दिया.कई राजनीतिशास्त्रियों ने लिखा है कि दुनिया के सारे बहुदलीय लोकतंत्र आखिर में दो दलीय व्यवस्था में बदल जाने को अभिशप्त होते हैं. एक दल का प्रभुत्व जब बढ़ता है, तो बाकी ज्यादातर दल मिलकर उसके खिलाफ मोर्चा बना लेते हैं और व्यावहारिक रूप से दो दलीय व्यवस्था ही बन जाती है, लेकिन भारत में 1977 के उदहारण को छोड़ दें, तो ऐसा कभी हुआ नहीं. हमारे यहां, खासकर जो क्षेत्रीय दल हैं, उन सबकी अपनी मथुरा तीन लोक से न्यारी रही है, जिसके आग्रह उनको दूसरे से ज्यादा जुड़ने नहीं देते. आप चाहें, तो इसका कारण इन दलों के जातिगत आधार में देख सकते हैं, उनके परिवारवाद में देख सकते हैं या उनके अपने निहित हितों में देख सकते हैं. कारण कुछ भी हो, लेकिन भारतीय राजनीति की हकीकत यही रही है. हमारे चुनावों में त्रिकोणीय मुकाबले आम बात रहे हैं.

कई बार तो कुछ जगह मुकाबले के इतने कोण होते हैं कि कोई ओर-छोर ही हाथ नहीं लगता.पिछले एक दशक में सोशल मीडिया और बिग डाटा ने भारतीय समाज को बहुत तेजी से बदला है और इसका सबसे सीधा असर राजनीति पर भी पड़ा है. इस पर काफी कुछ कहा और लिखा गया है कि सोशल मीडिया ने किस तरह से समाज का ध्रुवीकरण कर दिया है. खासकर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण 'मनसा वाचा कर्मणा' जितना अब दिखता है, उतना पहले कभी नहीं दिखता था. यह एक खतरनाक बदलाव है. ठीक यहीं पर एक और बदलाव हुआ है, जो भले ही उतना खतरनाक न हो, पर काफी महत्वपूर्ण है. सोशल मीडिया और बिग डाटा के इस्तेमाल के बाद राजनीति का भी तेजी से ध्रुवीकरण हुआ है. अब आमतौर पर मुकाबले सीधे होते हैं और तीसरा दल पूरी तरह से हाशिये पर चला जाता है.

पिछले दिनों कर्नाटक के विधानसभा चुनाव को याद कीजिए. वहां मुकाबला सीधा भाजपा और कांग्रेस में था. इस तीखे मुकाबले में क्षेत्रीय स्तर पर कभी मजबूत पकड़ रखने वाला और अक्सर किंग मेकर बनने वाला जनता दल सेकुलर पूरी तरह दरकिनार हो गया. इसके पहले हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा के पिछले चुनाव को देखें. वहां भाजपा और सपा की लड़ाई में बहुजन समाज पार्टी पूरी तरह से हाशिये पर चली गई. भाजपा यह चुनाव बहुत आराम से जीत गई, लेकिन ध्रुवीकरण के दबाव ने समाजवादी पार्टी की झोली में इतने वोट डाल दिए, जितने वोट इस पार्टी को उसके पूरे इतिहास में कभी नहीं मिले थे. यही उत्तर प्रदेश के साथ ही हुए पंजाब विधानसभा चुनाव में दिखा. मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में हुआ, और वह अकाली दल दरकिनार हो गया, जो पंजाब की सबसे महत्वपूर्ण ताकत हुआ करता था.

इस बार जो विपक्षी एकता हमें दिख रही है, उसके पीछे यही दबाव काम कर रहे हैं. यह डर सबको सता रहा है कि अगर विपक्षी दल मिलकर एक ध्रुव नहीं बनते हैं, तो उनमें से कई हाशिये पर चले जाएंगे. अगर माकपा और तृणमूल कांग्रेस एक ही घाट का पानी पीते दिख रहे हैं, तो यह काम राजनीतिक ईको-सिस्टम के किसी बड़े दबाव के बिना तो नहीं ही हो सकता.

विपक्षी एकता के बारे में एक बात हमेशा से कही जाती रही है कि विपक्षी पार्टियां साल भर एक-दूसरे से अलग नहीं रह सकतीं और छह महीने तक एक साथ नहीं रह सकतीं. इंडिया ब्लॉक को बने हुए अभी छह महीने नहीं हुए हैं, इसलिए उसके टिकाऊपन के बारे में किसी नतीजे पर पहुंचने का समय नहीं आया है. अभी यह देखना शेष है कि नई राजनीति के दबाव एक-दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाने की पुरानी फितरत पर कितने भारी पड़ते हैं. इंडिया ब्लॉक अगर अपनी ताजा परिपक्वता को बरकरार रख पाया, तो अगला आम चुनाव वाकई काफी दिलचस्प हो जाएगा.

हरजिंदर.

मनसा वाचा कर्मणा

सनातन का मर्म समझते हैं?

आजकल सनातन शब्द को लेकर काफी विवाद चल रहा है, लेकिन यह सिर्फ गलतफहमी के कारण हो रहा है. सनातन शब्द का धर्म से कोई लेना-देना नहीं है. इसके बारे में बहुत भावुक होने की जरूरत नहीं है. यह शब्द कोई नया नहीं है. यह बहुत प्राचीन है. वेदों में इसकी परिभाषा है, सनातन अत एव पुनर्नवा, यानी सनातन वह है, जो निरंतर नया होता रहता है. इसे समझने के लिए थोड़ा विस्तार से देखना होगा. ध्यानियों ने जब जीवन को समझा-जाना, तब यह पाया कि बाहर से तो जन्म-मृत्यु का खेल चलता रहता है, लेकिन उसके मूल में कुछ है, जो सदा बना रहता है. अब अंतरिक्ष में जो यान भेजे जा रहे हैं, उनसे यह साफ होगा.

सूरज की गति से प्रकाश और अंधेरा होता है, लेकिन यह खेल जिस अवकाश में होता है, वह शाश्वत है, यानी सनातन है. जीवन हर पल मरता है और प्रतिपल पैदा होता है. जैसे, एक सांस आती है और दूसरी बाहर जाती है. आती सांस जन्म है, जाती सांस मृत्यु है. यह जो लय है जीवन की, वही सनातन है. वस्तुत सनातन समयातीत होता है. सनातन का मतलब होता है कि जिसमें नए और पुराने का कोई अर्थ ही नहीं है, जो सदा है. पुराने का मतलब है, जो कभी था. नए का मतलब है, जो कभी नहीं था. इसमें लड़ने जैसी कोई बात ही नहीं है.

ओशो ने इसकी बहुत सटीक व्याख्या की है- धर्म सनातन है, लेकिन सनातन धर्म जैसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि सनातन धर्म का तो मतलब होगा कि कुछ सामयिक धर्म भी हैं. सनातन धर्म का मतलब होगा कि कुछ क्षणिक धर्म भी हैं. नहीं, सनातन धर्म जैसी कोई चीज नहीं है. धर्म का होना ही सनातन है. लेकिन ध्यान रहे, धर्म पुराना होता है, जब शास्त्र बनता है. जैसे, किताब बनी, वह पुरानी होगी, लेकिन ज्ञान कभी पुराना नहीं होता और जो पुराना हो जाता है, वह मर जाता है. धर्म चूंकि मर नहीं सकता, इसलिए वह कभी पुराना भी नहीं हो सकता.

लेकिन पूरी दुनिया के धार्मिक लोग यह बताने की कोशिश करते हैं कि उनका धर्म सबसे ज्यादा पुराना. जैसे, पुराना होना कोई मूल्य है. परमात्मा न पुराना है और न नया. वह सदा वही है. धर्म कभी बासी नहीं होता, ग्रंथ हो जाते हैं, क्योंकि वे आदमी की लिखी हुई किताबें हैं, वे तो पुरानी पड़ेंगी ही.धर्म विराट है, उसका मूल अर्थ है धारण करने वाला नियम. यह नियम वैज्ञानिक है, भौतिक विज्ञान का हिस्सा है. इसे सभी वैज्ञानिक मानते हैं, उसी तटस्थ भाव से हमें धर्म के नियम मानने चाहिए, धर्म को हमने इतना छोटा कर दिया है कि जरा सी बात पर ठेस लग जाती है. धर्म कोई नासूर नहीं है, यह तो सब नासूरों को स्वस्थ करने वाला अमृत है.

- अमृत साधना

महिला आरक्षण

मोदी सरकार जिम्मेदारी अगली से अगली सरकार पर डालना चाहती है

भारत के संवैधानिक और संसदीय इतिहास में 3 तारीखें महत्वपूर्ण तारीखों में से एक हैं.

12 सितंबर 1996 : तत्कालीन प्रधानमंत्री देवेगौड़ा की सरकार ने संसद में 21वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया. इस विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभा में एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान किया गया, मगर इससे आगे कोई प्रगति नहीं हुयी.

9 मार्च 2010 : तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार ने राज्यसभा में संविधान (108वां संशोधन) विधेयक पेश किया. यह 1996 के विधेयक के समान ही था और 186:1 के मत से पारित किया गया. विधेयक लोकसभा में प्रेषित किया गया लेकिन लंबित रहा. 15वीं लोकसभा के भंग होने के साथ ही यह विधेयक भी समाप्त हो गया.

18 सितंबर 2023 : वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने लोकसभा में संविधान (128वां संशोधन) विधेयक पेश किया. महिला आरक्षण के प्रावधान के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एक तिहाई सीटें पहले के विधेयकों के समान है लेकिन इसमें 3 चेतावनियां हैं.

चौंकाने वाली चेतावनी : एक बार जब विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाता है और नए अनुच्छेद 334ए के तहत राष्ट्रपति द्वारा सहमति दी जाती है तो यह लागू हो जाएगा. पहली जनगणना के प्रासंगिक आंकड़ों के बाद इस उद्देश्य के लिए परिसीमन की कवायद शुरू होने के बाद संविधान (128वां संशोधन) अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद लिया गया. अधिनियम प्रकाशित किया गया.

जनगणना 2021 में होने वाली थी, इसमें अनजाने में देरी की गयी. जनगणना एक बड़ी व्यापक प्रक्रिया है और इसके परिणाम प्रकाशित होने में 2 साल लगेंगे. अगली जनगणना की तारीख अनिश्चित है. संविधान के अनुच्छेद 82 के तीसरे प्रावधान द्वारा लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए सीटों के पुनः आवंटन को 2026 तक रोक दिया गया था. 'एक व्यक्ति-एक वोट' के नियम के तहत दक्षिण और पश्चिम के राज्यों में सीटें घटेंगी और उत्तर के राज्यों में बढ़ेंगी. जिन राज्यों में सीटें खोने की संभावना है, उनका कहना है कि उन्हें बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सेवा और परिवारों के आकार को सीमित करने के लाभों के बारे में बेहतर संचार के माध्यम से अपनी जनसंख्या की वृध्दि दर को नियंत्रित करने के लिए दंडित किया जा रहा है.हालांकि 2026 के बाद हुई पहली जनगणना के परिणाम के प्रकाशन पर रोक हटा दी जाएगी, लेकिन इस अभ्यास में राजनीतिक बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है. पुनः आवंटन के बाद नए परिसीमन अधिनियम के तहत परिसीमन की कवायद शुरू होगी. 2002 में शुरू हुई आखिरी परिसीमन प्रक्रिया 6 वर्ष बाद 19 फरवरी 2008 को पूरी हुयी. इसलिए यह क्रम 2026 के बाद ली गयी पहली जनगणना है, जिसमें प्रासंगिक आंकड़ों का प्रकाशन, लोकसभा में सीटों का पुनः आवंटन और एक नया परिसीमन अधिनियम है.निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन और अंत में आरक्षण का प्रत्येक चरण कब पूरा होगा, इसकी तिथि अनिश्चित है. महिला आरक्षण विधेयक का क्रियान्वयन इन्हीं अनिश्चित घटनाओं पर निर्भर है. मुझे डर है कि समय 2029 से भी आगे निकल जाएगा.

बाधाएं : मोदी सरकार महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करने की राह में अपनी योजना का अज्ञानता के कारण अनभिज्ञता नहीं जता सकती. ये बाधाएं 1996 और 2010 के विधेयकों में नहीं थी. अगर महिलाएं सरकार पर जानबूझकर ये बाधाएं डालने का आरोप लगाती हैं तो यह उचित होगा.

प्रधानमंत्री ने 19 सितंबर 2023 को 3 मौकों पर की गयी अपनी टिप्पणियों में यह नहीं बताया कि उनकी सरकार ने इन बाधाओं को कैसे दूर करने का प्रस्ताव रखा है. हल्के ढंग से कहें तो पूर्व शर्तों पर सरकार की चुप्पी अशुभ है. यह स्पष्ट है कि मोदी सरकार जिम्मेदारी अगली सरकार या एक के बाद एक सरकार पर डालना चाहती है. यह महिलाओं को फलों की एक टोकरी देने लेकिन निकट भविष्य में उन्हें फल खाने से मना करने जैसा है.

मतदाता सूचियां पर्याप्त : महिलाओं के पास कई क्षेत्रों, संसद और राज्य विधानसभाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है. समस्या का पता उनकी सामाजिक और धार्मिक स्थिति से लगाया जा सकता है. कार्यबल के बीच श्रम भागीदारी दर (एल.पी.आर.) 45.2 प्रतिशत है. महिलाओं में यह निराशाजनक 20.6 प्रतिशत है. अधिकांश महिलाएं अपने घरों में काम करने के लिए बाध्य हैं और यह उन पर दबाव डालता है.

किशोरियां और महिलाएं पर्याप्त पौष्टिक भोजन से वंचित हैं. निम्न सामाजिक स्थिति, निम्न व्यक्तिगत आय और गृह निर्माता की जिम्मेदारियों के संयोजन ने महिलाओं को उनके घरों तक सीमित कर दिया है और राजनीतिक क्षेत्र में उनकी भागीदारी को बाधित कर दिया है. नई जमीनें तोड़ते हुये राजीव गांधी और पी.वी. नरसिम्हा राव ने आरक्षण की बदौलत करीब 13,00,000 महिलाओं को पंचायत और नगर निकायों में निर्वाचित होने में सक्षम बनाया.

अगला तार्किक कदम लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आरक्षण है. इस विचार के पहली बार सामने आने के बाद से महिलाओं ने 30 वर्षों से अधिक समय तक इंतजार किया और इसमें अब और देरी नहीं हुयी है. जुमला एक हिंदी शब्द है जिसका अर्थ मोटे तौर पर पेचीदा कार्य या कथन होता है. 2014 और 2019 में चुनाव की पूर्व संध्या पर भाजपा ने कई जुमले उछाले. महिला आरक्षण विधेयक दूसरा जुमला है.

- पी. चिदम्बरम

जलविहार पर

जन-जन से जुड़ा हुआ है 'जल विहार उत्सव' एवं 'जलविहार शोभायात्रा'

हर आनंद और उत्साह की अभिव्यक्ति त्यौहारों से जुड़ी हुयी है. भारत के तीज-त्यौहार धार्मिकता से संलग्न हैं. भारत कृषि प्रधान देश है. जिसके हर तीज, त्यौहार कृषि और प्रकृति सौंदर्य से जुड़े हुये हैं. 'होली' हास्य व्यंग्य विनोद का पर्व वसंत ऋतु में आता है. इस समय प्रकृति अपने पूर्ण निखार पर होती है. इसी क्रम में वर्षा ऋतु के अंतिम पड़ाव (सितंबर) में जलविहार उत्सव मनाया जाता है. इस समय प्रकृति अपने पूर्ण निखार पर होती है. चहुंओर हरियाली और खेत-खलिहानों में फसलें भी लहलहाने लगती हैं. वसुंधरा भी हरित मखमली चादर से आच्छादित होकर संवर जाती है. पेड़-पौधे, पुष्पों से लहराते हैं. मन को प्रफुल्लित करने वाला सुहावना मौसम तन-मन को आनंदित करता है, जो प्राकृतिक सौंदर्य से अभिभूत रहता है.

जल विहार का प्रासंगिक महत्व

भगवान श्री विष्णु (कृष्ण अवतार) के समय (बालकृष्ण वासुदेव, सह) यमुना नदी को पार करते समय बालकृष्ण ने यमुना नदी को दो वर प्रदान किये थे. 1) बाल्य काल में आप यमुना तट को क्रीड़ा स्थली बनाएं. 2) यौवना अवस्था में कंस का वध कर जब सिंहासन रूढ़ होवें तब आप जन-मन के साथ यमुना तट पर आवें, जल विहार करें, साथ ही आनंदोत्सव मनाएं ताकि तुम्हारा भी महत्व गंगा की तरह कायम रहे, मैं भी पूज्यनीय रहूं. (1) बालकृष्ण ने बाल्यकाल में यमुना तट को क्रीड़ा स्थली बनाई, वासुकी नाग का भी उध्दार किया. गाय चराई. (2) यौवना अवस्था में कृष्ण ने अत्याचारी कृष्ण से जन-जन को मुक्ति दिलाई तथा जन-जन को खुशहाल रखा, राज्य सुख समृध्दि से परिपूर्ण रहा.

वचन पूर्ति व आनंद उत्सव

एक दिन कृष्ण को बाल्यकाल में युमना नदी को दिए गए वर की याद आई, ताकि दिए गए वर की पूर्ति कर सकें, अस्तु भगवान ने एक आमसभा का आयोजन किया तथा सभा में सभी को आमंत्रित किया. जिसमें सभी स्त्री, पुरुष, बाल, वृध्द का समावेश था. एक प्रस्ताव रखा गया कि सभी समस्त नागरिकों सहित हम सभी यमुना तट पर जाएंगे, वहां आनंद उत्सव मनाएंगे. प्रस्ताव का अनुमोदन विदुर जी ने किया. तद्नुसार भाद्रपद की द्वादशी को यमुना तट जाने का निश्चित हुआ तथा तद्नुसार निर्धारित दिन पर समस्त ग्रामवासी सज-संवरकर यमुना तट पर जाने श्री कृष्णा दरबार में उपस्थित हुये.

भगवान श्रीकृष्ण भी राधा सहित सज-संवरकर रथारुढ़ हुए. यमुना तट पर जानेवाले पुरुष वर्ग अपनी शौर्यकला को प्रदर्शित करते चल रहे थे, तो दूसरी ओर महिलाएं भी लोक नृत्य व भजन कीर्तन सहित आगे बढ़ रही थीं और वाद्य यंत्र के साथ थिरक रही थीं. प्रकृति सौंदर्य भी उन्हें प्रोत्साहित कर रहा था और चहुंओर फैली हरियाली, शीतल मंद सुगंधित वायु भी सभी में स्फूर्ति भर रही थी.

एक असीम उत्साह सभी में नजर आ रहा था, जो अपने आप में अनुपम था. सभी यमुना तट पर पहुंचे. भगवान श्रीकृष्ण ने राधा सहित यमुना में जलविहार किया. वहां यमुना जी स्वगतार्थ उपस्थित थीं. नौका विहार के बाद सभी ने तट पर आनंद उत्सव व वन भोज का आनंद लिया. इसी पावन प्रसंग को बुंदेलियों ने आत्मसात किया, क्योंकि यह प्रसंग भगवान एवं भक्तों के बीच प्रेम स्नेह की एक सुंदर लड़ी बनी, जो अपने आप मे अनुपम रही. प्रेम स्नेह का प्रतीक बना जलविहार और इस प्रसंग के अनुरूप जलविहार मनाने लगे, जो संपूर्ण बुंदेलखंड में असीम उत्साह के साथ मनाया जाने लगा. जलविहार उत्सव व शोभायात्रा.

'भगवान कृष्ण राधा की चल प्रतिष्ठा'

चूंकि, भगवान स्वयं राधा संग जलविहार करने व यमुना तट पर जलविहार व आनंद उत्सव मनाने गए थे. अतः भगवान की इसी के तहत शोभायात्रा में चल सके राधा कृष्ण की मंदिरों की चल प्रतिष्ठा की जाती है. मूर्ति चाहे बड़ी से बड़ी हो अथवा छोटी पाषाण की हो या धातु की चल प्रतिष्ठा की जाती है. शोभायात्रा में प्रतीकात्मक उत्सव मूर्ति नही निकलती, मूल प्रतिष्ठित प्रतिमा ही चलती है.

'भगवान का विलोभनीय श्रृंगार'

इस दिन भगवान का विलोभनीय श्रृंगार किया जाता है. आकर्षक पोषाकों व स्वर्ण अलंकार का श्रृंगार किया जाता है, जो विलोभनीय होते है. अमरावती में भी आकर्षक पोशाक के साथ स्वर्ण अलंकारों से सजाया जाता है.

'भगवान के पावन चरणों का स्पर्श योग'

चूंकि, भगवान वर्ष के 365 दिन मंदिरों में गर्भ गृह के मध्य विराजते हैं, लेकिन जल विहार के माध्यम से बाहर आते हैं, तब भक्तों को उनके चरण स्पर्श का पवन सौभाग्य होता है, जो वर्ष में एक ही बार प्राप्त होता है. उनके चरण स्पर्श का लाभ भक्तगण उठाते हैं.

'जलविहार रस्म'

भगवान जल विहार हेतु बाहर आते हैं और शोभायात्रा के तहत जिन-जिन शहरों में गांव में नदियां हैं वहां, जहां नदियां नहीं वहां तालाब पर और जहां दोनों का अभाव है, कुएं पर जलविहार की रस्म होती है (यह विशेष है) तथा पूजा अर्चना के साथ प्रसाद वितरित होता है.

अमरावती का जलविहार उत्सव

अमरावती शहर में बुंदेली निवास करते हैं. वे सभी जलविहार उत्सव पूर्ण उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं. यहां बुंदेलियों के दो मंदिर हैं. 1) छतरपुरी बालाजी मंदिर सक्करसाथ, 2) इतवारा बाजार साहू समाज मंदिर.

अमरावती में 'दो भव्य जलविहार शोभायात्रा'

अमरावती शहर की जूनी बस्ती परकोट के अंदर 200 वर्ष पूर्व से श्री छतरपुर बालाजी मंदिर की शोभायात्रा नगर भ्रमण करते हुए अंबा नदी पहुंचती है. पूर्व में अंबा नदी स्वच्छ, निर्मल होकर बहा करती थी, वहां जलविहार करने शोभायात्रा जाती थी. जैसे-जैसे परकोट के बाहर बस्ती बड़ी साहू समाज के इतवारा बाजार मंदिर से भी जलविहार शोभायात्रा पूर्ण तामझाम के साथ निकलती है. विशेष प्रतिवर्ष शोभायात्रा को आकर्षक बनाने का व्यवस्थापकों का मानस रहता है. जिसमें लोक नर्तक, लेजिम पथक, ढोल पथक, अश्व अख नृत्य और वर्तमान में डिजिटल साउंड के साथ नवयुवक थिरकते हैं. शोभायात्रा में सामाजिक, धार्मिक एवं राष्ट्रीय झांकी का समावेश रहता है. दोनों शोभायात्रा अमरावती की सांस्कृतिक नागरी कि शोभा में चार चांद लगाती हैं. जिसके लिए दर्शक गण आतूरता के साथ प्रतीक्षारत रहते हैं.

प्रसाद

बूंदी, पकौड़ी के पैकेट दर्शनार्थियों को प्राप्त होते हैं. साथ ही हर चौक पर आतिशबाजी की जाती है तथा भ्रमण मार्ग पर शीतल पेय, चाय और नाश्ते की व्यवस्था रहती है. यह जलविहार गणेशोत्सव व महालक्ष्मी के मध्य आता है. इसलिए शहर में विशेष चहल-पहल रहती है. दर्शनार्थियों का सैलाब उमड़ आता है.

- सौ. लीना कामेश

प्रतिदिन अखबार

यह पत्र मालिक, प्रकाशक, सम्पादक नानक आहूजा द्वारा देविका वेब प्रिंटर्स, राजापेठ, अमरावती से मुद्रित कर प्रतिदिन अखबार कार्यालय, देविका परिसर, ब्राम्हण सभा के पीछे, दरोगा प्लॉट, राजापेठ, अमरावती 444606 से प्रकाशित किया है. फोन - 0721-2660155/56/57/58 फैक्स - 0721-2677708 E-mail:-pratidinnews@gmail,com प्रतिदिन अखबार में प्रकाशित होनेवाले विभिन्न लेख, पत्र,साहित्य, लेखकों, कवियों आदि के विचारों या तथ्यों पर आधारित होते हैं. इन लेखकों के विचारों अथवा तथ्यों से संपादक की सहमति नहीं है. संपादक पर मात्र सम्पादकीय लेखों का हो दायित्व है. संपादक - नानक आहूजा, समाचार संपादक - प्रवीण आहूजा.